

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

दिनांक 31/08/18

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2018/1876

प्रति,

प्राचार्य,
राजीवगांधी शारणातकोत्तर महाविद्यालय
मन्दसौर।

विषय :- महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2018-19 में संवाहित परंपरागत पाठ्यक्रमों की सीट वृद्धि के संबंध में।
संदर्भ :- महाविद्यालय का पत्र क्रमांक / 2835 / 2018 मन्दसौर दिनांक 14.08.2018
महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपक द्वारा आयुक्त/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल के पत्र क्रमांक/680/484/आउशि/शा. 5/2018, भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2018, के परिपत्रित में कर्नाटकर द्वारा आवेदित पाठ्यक्रमों की सीट वृद्धि हेतु निर्धारित आवेदन सहित शुल्क समस्त स्तर पर रु. 08,250/- (कुल निर्धारित सीटों के अतिरिक्त 30 सीट के मान से) तथा शारणातकोत्तर स्तर पर रु. 11,000/- (कुल निर्धारित सीटों के अतिरिक्त 30 सीट के मान से) आपके द्वारा आवेदित निम्नांकित पाठ्यक्रमों का कुल निर्धारित शुल्क निम्न विवरणानुसार दया होगा :-

क्र.	विषय	पूर्व सीट संख्या	वर्धित सीट संख्या	आवेदन शुल्क (प्रति संख्या)	सीट वृद्धि शुल्क	कुल शुल्क (5+6)
01	02	03	04	05	06	07
01	बी.ए.- प्रथम वर्ष (प्लेन)	1100	119	1500/-	33,000/-	34,500/-
02	एम.कॉम. प्रथम वर्ष	150	15	1500/-	11,000/-	12,500/-
03	एम.एससी. प्रथम वर्ष (प्राणिकी)	25	03	1500/-	11,000/-	12,500/-
04	एम.एससी. प्रथम वर्ष (वनस्पति)	25	03	1500/-	11,000/-	12,500/-
05	एम.ए.- प्रथम वर्ष	40	04	1500/-	11,000/-	12,500/-

उक्तानुसार शुल्क रु. 84,500/- विश्वविद्यालय द्वारा जम्मा किये गये पूर्व पत्र क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2018/1693, दिनांक 28.07.2018 द्वारा 18% जी.एस.टी. रु. 15,210/- इस प्रकार कुल शुल्क रु. 99,710/- (अक्षरी रूपसे नित्यानवे हजार सात सौ दस मात्र) नेफ्ट/आर.टी.जी.एस. द्वारा विश्वविद्यालय कोष में जमा करावे। उपरोक्त शुल्क आर.टी.जी.एस./नेफ्ट/कोषालय के माध्यम से जमा किये जाने पर पत्रों की प्रत्यक्ष प्रतियाँ विश्वविद्यालय के लेखा विभाग से सत्यापित करवा कर अकादमिक(सम्बद्धता) विश्वविद्यालय में पूर्ण दर्ता सहित प्रस्तुत करें ताकि उपरोक्तानुसार आवेदित पाठ्यक्रमों की शासन के आदेशानुसार सीटों में वृद्धि की कार्यवाही विश्वविद्यालय में पूर्ण पर चल सके।
आदेशानुसार

उपकुलसचिव(अकादमिक)

दिनांक 31/08/18

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2018/1877

प्रतिलिपि :-

01. आयुक्त/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, रातपुरही मदन, भोपाल।
02. उप/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
04. प्रभाषी ऑनलाईन सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
05. प्रभाषी कंप्यूटर सेंटर की ओर प्रेषित कर वृद्धि के संबंध में पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कर्तव्य।
06. कुलपतिजी/कुलसचिवजी को निजी सहायक विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनाार्थ प्रेषित।
07. मॉड फाइल हेतु।

अनुभाग अधिकारी(अकादमिक)